संख्या-50/2026/485/22-4-2026-1973429

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक / महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 31 अगस्त, 2026

विषय:-उत्तर प्रदेश की कारागारों हेतु 143 नग इन्सास राइफल 5.56 एम0एम0 एवं 23446 नग कारतूस 5.56 एम0एम0 क्रय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवशेष धनराशि 60 प्रतिशत के भुगतान हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-18562/सामा-2(1)/3/अस्त्र-शस्त्र क्रय/2025, दिनांक 07.05.2026 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में 143 नग इन्सास राइफल 5.56 एम०एम० एवं 23446 नग कारतूस 5.56 एम०एम० नामित संस्थाओं को स्वीकृत धनराशि रूपये 2,40,55,000/- से 40 प्रतिशत धनराशि रूपये 96,22,000/- के भुगतान उपरान्त अवशेष 60 प्रतिशत धनराशि रूपये 1,44,33,000/- (रूपया एक करोड चौवालीस लाख तैंतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का भुगतान किये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) महानिरीक्षक कारागार द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग द्वारा सामग्री के क्रय सम्बन्धी समय समय पर निर्गत विभिन्न शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा इस संबंध में उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल एवं अन्य संगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2) महानिरीक्षक कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि उक्त उपकरणों के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणों आदि की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हों।

(3) महानिरीक्षक कारागार द्वारा सामग्री के क्रय हेतु स्पेसिफिकेशन, गुणवत्ता, मितव्ययिता, औचित्य, आपूर्ति एवं अपरिहार्यता का परिक्षण स्वयं किया जाएगा।

(4) महानिरीक्षक कारागार कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित उपकरणों के मेक/मॉडल /स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के संबंध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।

(5) महानिरीक्षक कारागार क्रय किये जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में पूर्णत: संतुष्ट हो लेगें।

(6) उपकरणों का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा।

(7) महानिरीक्षक कारागार द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) महानिरीक्षक कारागार द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2027 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) भविष्य में पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक कारागार द्वारा स्वयं यह सत्यापित किया जाये कि क्रय किये गये कारतूसों का दुरूपयोग ना हो तथा इसका सही इस्तेमाल किया जाय।

(10) पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक कारागार द्वारा कारागारों को कारतूसों का आवंटन स्वयं किया जाय एवं कारतूसों का वेरिफिकेशन व रख-रखाव उ0प्र0 जेल मैनुअल के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कराये जाने की कार्यवाही स्वस्तर से सुनिश्चित करायी जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,44,33,000 (रुपये एक करोड़ चौवालीस लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008001400 कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-12-68-X-2026-27, दिनांक: 31.08.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-50/2026/485(1)/22-4-2026-1973429, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।